


19/12/19

चकीक वारी के प्रपत्र पर
बाप पञ्चावणी लगव की जाकर प्रेश
हुई मुक्त प्रपत्र दावा पञ्चावणी में
शाहित किया गया। चकीक वारी ने
पञ्चाकारान् के मध्य में राजीनामा ले
जाने के कारण वाद को खारिज करा
लिया गया है अब इस प्रपत्र पर
कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
अतः प्रपत्र 212 RTA प्रार्थी श्री
खारिज किया जाता है। पञ्चावणी
नम्बर से कम होकर वाद तकमील
दारिल दफ्तर हो। सुनाया गया।


सहायक कलक्टर
अलवर

